फर्द आहकाम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

रामु बनाम ग्रोश्य व अन्य

112 /2020

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	Sreeem kumar Choudhary for P. (signature)	उपरान्त प्रस्तुत प्रा०पत्र (10) पर को स्वीकार किया जाकर संशोधित आवेदन को रिकार्ड पर लिया जाता है एवं मुताबिक राजीनामा/इकरारनामा के आधार पर वाद को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली के शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद प्रति शामिल रखवाई हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आदेश 22 नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
बइजलास श्री विश्वामित्र मीना R.A.S.
राजस्व वाद सं0 112/2020

उनवानः— रामू बनाम गणेश वगेरहा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू, मुझ श्री विश्वामित्र मीना R.A.S. व हाजरी........वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू........प्रतिवादीगण......के विरूद्ध विचाराधीन वाद में........मिन जामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि.............ग्राम नारदपुरा में स्थित वादग्रस्त खसरा नं0 175 रकबा 1.30 हैक्टेयर, 345 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 346 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 347 रकबा 3.70 हैक्टेयर, 352 रकबा 2.00 हैक्टेयर, 356 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 357 रकबा 6.04 हैक्टेयर किता 7 कुल रकबा 13.11 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं0 1 गणेश पुत्र घासीराम के अंकित हिस्सा 1/3 में वादी रामू पुत्र गणेश को हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादीगण सुरेश कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम को हिस्सा 1/6, गुलाब पुत्री गणेशराम को हिस्सा 1/6, लल्ली पुत्री गणेशराम को हिस्सा 1/6, कानी पुत्री गणेशराम को हिस्सा 1/6, गणेश पुत्र घासीराम को हिस्सा 1/6 अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रकरण में निर्णय कर डिक्री किया जाता है।................................

निजी................................मबलिक..बाबत......................खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगेरह..फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक ....को अदा करें। वसूलियाव तक ....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर हाजा अदालत में आज तारीख 24.02.2022 को जारी किया।

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सूबत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

दस्तखत...

ओहदा.... उपखण्ड अधिकारी ....
जमवारामगढ़, जिला—जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
बइजलास श्री विश्वामित्र मीना R.A.S.

राजस्व वाद सं0 112/2020

रामू पुत्र गणेश, जाति जाट निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.......वादी

बनाम

1. गणेश पुत्र घासी
2. रामफूल पुत्र स्व0 राधेश्याम पौत्र गणेश
3. सुरेश पुत्र स्व0 राधेश्याम पौत्र गणेश

   जातियान जाट मूल निवासी नारदपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. राज0सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जयपुर।
5. उपपंजीयक अधिकारी जमवारामगढ,तह0जमवारामगढ जयपुर।
6. गुलाब पुत्री गणेश
7. लल्ली पुत्री गणेश
8. कानी पुत्री गणेश

   जातियान जाट मूल पैतृक निवासी नारदपुरा तहसील जमवारामगढ जयपुर।

........प्रतिवादीगण

निर्णय
दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 सपठित धारा 207 आर0टी0एक्ट0

दिनांक 24.02.2022

वादी की ओर से दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम ग्राम नारदपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 175 रकबा 1.30 हैक्टेयर, 345 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 346 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 347 रकबा 3.70 हैक्टेयर, 352 रकबा 2.00 हैक्टेयर, 356 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 357 रकबा 6.04 हैक्टेयर किता 7 कुल रकबा 13.11 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं0 1 गणेश पुत्र घासी के पैतृक खातेदारी हिस्सा 1/3 स्थित है। जिसमें पैतृक वंशानुगत हक अधिकारों अनुसार वादी ने वाद प्रस्तुत किया है तथा दौराने वाद वकील महेश शर्मा नयावास द्वारा आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। तदुउपरांत प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प साईवाड में दिनांक 03.12.2021 को पत्रावली में सुनवाई हेतु रखा गया। जिसमें उभय पक्षों ने उपस्थित होकर अपने सहमतिपूर्ण इकरारनामा के मुताबिक निर्णय एवं डिक्री पारित करने के लिए राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसमें अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली को दिनांक 17.03.2022 को रखा गया। वकील उभय पक्षों की उपस्थिति में शीघ्र सुनवाई आवेदन बाबत मुताबिक राजीनामा निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली को दिनांक 24.02.2022 को रखा गया।

उपरोक्त वर्णितानुसार विचाराधीन पत्रावली में सुनवाई के दौरान उपस्थित वकील उभय पक्ष ने कथन किया कि विचाराधीन आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर सलग्न संशोधित उनवान को रिकार्ड पर लिया जावे तथा मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

प्रस्तुत राजीनामा मय सहमति पूर्ण इकरारनामा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 गणेश पुत्र घासीराम के नाम से अंकित उक्त वर्णित कृषि आराजियात में वादी रामू पुत्र गणेश का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादीगण सुरेश कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम का हिस्सा 1/6, गुलाब पुत्री गणेशराम का हिस्सा 1/6, लल्ली पुत्री गणेशराम का हिस्सा 1/6, कानी पुत्री गणेशराम का हिस्सा 1/6, गणेश पुत्र घासीराम का हिस्सा 1/6 होना एवं उक्त हिस्सों अनुसार ही उक्त भूमि की खातेदारी अंकित कराना तय पाया है। जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने हेतु उभय पक्ष पूर्णतया सहमत व रजामन्द हो चुके है। पक्षकारों की पैतृक उक्त भूमियों में उक्त वर्णित हिस्सा 1/6-1/6 अनुसार आराजीयात में हक खातेदार घोषित करने तथा तदानुसार पक्षकारों के राजस्व इंद्राज खातेदारी करने में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है, जिसके लिए पक्षकारों के मध्य पूर्णतया राजीनामा हो चुका है। जिसके अनुसार खातेदारी घोषित किये जाने में पक्षकार पूर्ण रूप से रजामंद है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें को मध्य नजर रखते हुए निर्णय कर डिक्री करने हेतु अनुतोष चाहा गया है। जिसके अनुसार ही लोकअदालत की भावना से उक्त प्रकरण में घोषणा हक खातेदार निर्णय किया जाकर डिक्री करने में पक्षकार पूर्णतया रजामंद है। जिसके लिए विचाराधीन वाद में निर्णय/डिक्री जारी करने में वादी एवं प्रतिवादीगण पूर्णरूप से सहमत है। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में हक खातेदार घोषित करने तथा तदानुसार विवादित भूमि के राजस्व इंद्राज को दूरूस्त करने में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर संशोधित उनवान को रिकार्ड पर लिया गया एवं विचाराधीन वाद में उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत सहमति पूर्ण इकरारनामा अनुसार राजीनामा तस्दीक कर ग्राम नारदपुरा में स्थित वादग्रस्त खसरा नं0 175 रकबा 1.30 हैक्टेयर, 345 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 346 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 347 रकबा 3.70 हैक्टेयर, 352 रकबा 2.00 हैक्टेयर, 356 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 357 रकबा 6.04 हैक्टेयर किता 7 कुल रकबा 13.11 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं0 1 गणेश पुत्र घासीराम के अंकित हिस्सा 1/3 में वादी रामू पुत्र गणेश को हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादीगण सुरेश कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम को हिस्सा 1/6, गुलाब पुत्री गणेशराम को हिस्सा 1/6, लल्ली पुत्री गणेशराम को हिस्सा 1/6, कानी पुत्री गणेशराम को हिस्सा 1/6, गणेश पुत्र घासीराम को हिस्सा 1/6 अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रकरण में निर्णय कर डिक्री किया जाता है। जिसके अनुशरण में प्रतिवादी सं0 1 का राजस्व इन्द्राज दुरुस्तीकरण कर पक्षकारों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। भूमिधारी तहसीलदार को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर